

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री चन्द्रप्रकाश सियाल

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम

विपक्षी : श्री सिराज मोहम्मद

पत्रावली संख्या : 146/24

जीसीएमएस : 2024/552

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 03.04.2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। मूल वाद को ड्रॉप किया जाकर खारिज किया जा चुका है। मूल वाद फैसल को नम्बर से कम कर दिये जाने से अब इस अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस स्तर पर ड्रॉप किया जाकर खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाती है।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p>(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

